कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

वेब परिचालन

सं:हि.अ./हि.कार्यशाला/संगठन/2015/442

दिनांक: 27 APR 2018

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षे.का.),
अपर केंद्रीय भविष्य आयुक्त (प्र.से.प्र.), मुख्यालय ।

विषय: हिंदी कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में ।

संदर्भ: हि.अ./रा.भा. सम्मेलन-16/2017-18/5857 दिनांक: 28.03.2018 मद संख्या: 4

महोदय/महोदया,

16वें राजभाषा सम्मेलन में चर्चा के दौरान यह सामने आया है कि संगठन के सभी कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जा रहा है। कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले सरकारी कार्मिकों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करना है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना अपेक्षित है जिसकी न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। इसके साथ-साथ निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(i) कार्यशाला में प्रशिक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा दिया जाए जो अपने विषय के विशेषज्ञ हो। आवश्यकतानुसार बाहरी विषय-विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

(ii) हर कार्मिक को प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार कार्यशाला में भाग लेने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाए । कार्यशालाओं में उच्च अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाए।

(iii) कार्यशाला के उपरांत प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला की उपयोगिता पर फीडबैक भी लिया जाए।

(iv) जिन छोटे-छोटे कार्यालयों में कार्यशाला का आयोजन संभव नहीं हो, वहां अन्य कार्यालयों के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। उदाहरणार्थ आंचलिक कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान भी अपने निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं।

कार्यालय प्रमुख कृपया यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ।

भवदीय,

(के.एल. गोयल)

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:-

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) वेब पर अपलोड करने हेतु।